



कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005
(सूचना का अधिकार शाखा)

फा. सं. V(Tech)RTI/36/2019/ 1913

दिनांक: 22.05.2019

सेवा में,

श्रीमती हेमलता,
41, भुवनेश्वरी वाटिका विस्तार डी,
मीनावाला, सिरसी रोड,
जयपुर-302012

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही सूचना के क्रम में।

महोदया,

कृपया आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया आवेदन पत्र दिनांक 28.02.2019 जो कि संयुक्त आयुक्त/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीजीएसटी एवम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर द्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीजीएसटी व उत्पाद शुल्क, जयपुर (कार्यालय में प्राप्त 15.05.2019) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत स्थानांतरित किया गया था।

इस सन्दर्भ में आपके द्वारा चाही गयी सूचना का जबाब बिन्दुवार निम्न प्रकार है :-

बिन्दु संख्या 1:

S.No.	Name & Post	Parent place of Posting	Place of posting (Loan Basis Station)
1	Bhawani Singh shekhawat, Supdt.	CGST Jaipur	DGRI Jaipur
2	Ramesh Kumar Sisodia, Supdt.	CGST Jaipur	DGGSTI Jaipur
3	Lekhraj Meena, Supdt.	CGST Jaipur	DGGSTI Jaipur
4	Sanjay Raizada, Supdt.	CGST Jaipur	NACIN Jaipur
5	Kan Singh, Driver-I	CGST Jaipur	NACIN Jaipur
6	Babu Lal Rajoria, LDC	CGST Jaipur	NACIN Jaipur
7	Shyo Narain Meena, LDC	CGST Jaipur	DGGSTI Jaipur
8	Goverdhan Meena, Head Hawaldar	CGST Jaipur	DGGSTI Jaipur

बिन्दु संख्या 2 के अन्तर्गत वांछित सूचना के संबंध में लेख है कि Loan Basis पर गए उक्त अधिकारी/कर्मचारी Transfer Travelling Allowance (TTA) के लिए Eligible नहीं है।

बिन्दु संख्या 3 के अन्तर्गत वांछित सूचना के संबंध में लेख है कि इस कार्यालय में पदस्थापित उक्त अधिकारीयों/कर्मचारीयों की Posting जयपुर में ही है। अतः उक्त अधिकारीयों/कर्मचारीयों को HRA/TA जयपुर का ही दिया जा रहा है।

बिन्दु संख्या 4 प्रत्युत्तर बिन्दु संख्या 3 के अनुसार है।

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री बृज लाल मीना, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।"

भवदीय,

— sd —

संयुक्त आयुक्त(इन-सीटू)/के.लो.सू. अधिकारी,

प्रतिक्रिया:-

1. The Web Master/Additional Commissioner, CGST Commissionerate, Jaipur for uploading on the Zonal Website.

संयुक्त आयुक्त(इन-सीटू) के.लो.सू. अधिकारी
Central Public Information Officer
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय
Central Goods & Services Tax Commissionerate
जयपुर, JAYPUR